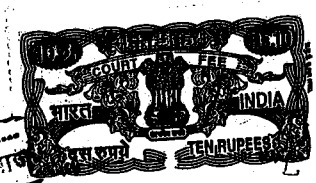

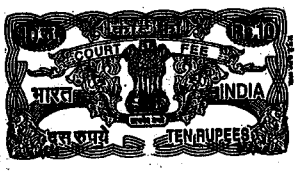

कमांक 806
रजि.
प्राप्त
23/6/15 ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर

R.M.
22/6/2015

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, रेवेन्यू बोर्ड, ग्वालियर (म.प्र.)
कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्र.क्र. :- निगरानी 1674-II-15

हरिसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत, उम्र 69 साल,
धंधा खेती, निवासी लिम्बावास तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर (म.प्र.) ...आवेदक

बनाम

01. विजयसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत, उम्र 65 साल,
02. रूघनाथसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत, उम्र 80 साल,
03. मानकुँवरबाई बेवा धनसिंह जी राजपूत, उम्र 60 साल,
04. बलवंतसिंह पिता धनसिंह जी राजपूत, उम्र 45 साल,
सभी धंधा खेती, निवासीगण लिम्बावास तहसील
मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) ...अनावेदकगण

निगरानी आवेदन विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 23/10-11 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2012 जिसकी जानकारी दिनांक 26.05.2015 को हुई से असंतुष्ट होकर।

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

(1)

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है-

01. :: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::

यह कि, आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मल्हारगढ़ के न्यायालय में अपनी कृषि भूमियों के बँटवारे हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 178 म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा विधिवत बँटवारा स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, मल्हारगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

निरंतर -2-

हरिसिंह राठौर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1674–दो/2015 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर मंदसौर के प्रकरण कमांक 23/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 8–2–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23–5–15 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपर कलेक्टर ने दिनांक 8–2–12 को आदेश पारित किया था जिसकी तीन वर्ष से अधिक विलम्ब से निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक ने विलम्ब के संबंध में यह तर्क दिया कि उसके द्वारा दिनांक 26–5–15 को जब मंदसौर आया तब उसे आदेश की जानकारी हुई। आवेदक का विलम्ब के संबंध में प्रस्तुत तर्क मान्य नहीं किया जा सकता। तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रकरण में आदेश की जानकारी नहीं लेने के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी है। न्यायदृष्टांत 1992 आर0एन0 289 (श्रीमती लंगरी एवं अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है :– " परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा – 5 विलंब	

सद्भाविक अर्थ – कार्यवाही में अनुपस्थिति तथा अपने काउन्सेल से संपर्क करने का कभी प्रयास नहीं किया अथवा मामले के भाग्य के विषय में जांच करने का कोई कदम नहीं उठाया – पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है – इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता। " स्पष्ट है आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य है जिसके विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है। अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य